



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 974]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 2016/वैशाख 3, 1938

No. 974]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 2016/VAISAKHA 3, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2016

का.आ. 1486(अ).— नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994(1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, श्री ए. अनबरासू, संभागीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी) के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन से, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 05 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2239(अ.) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में, मद संख्या (ग) (iv) के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित मद संख्या तथा प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(i) श्री ए. अनबरासू,  
संभागीय आयुक्त,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार”

[फा. सं. 14011/23/2014- दिल्ली-II]

हितेश कुमार स. मकवाना, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना का.आ. सं. 2239(अ.) दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और उसके उपरांत का.आ. सं. 2827(अ) 05 नवम्बर, 2014, का.आ. सं. 609(अ) दिनांक 24 फरवरी, 2015, का.आ. सं. 681(अ) दिनांक 05 मार्च 2015, का.आ. सं. 1848 (अ) दिनांक 08 जुलाई 2015, का.आ. सं. 44(अ) दिनांक 07 जनवरी 2016 और का.आ. सं. 1152(अ) दिनांक 17 मार्च 2016 के तहत संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2016

**S.O. 1486(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby nominates Shri A. Anbarasu, Divisional Commissioner, Govt. of NCT of Delhi as a member of the New Delhi Municipal Council (NDMC), and for that purpose, makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 2239(E), dated 5<sup>th</sup> September, 2014 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

In the said notification, in paragraph I, for Item No.(c)(iv) and the entry relating thereto, the following item number and entry shall be substituted namely:-

“(iv) Shri A. Anbarasu,  
Divisional Commissioner,  
Govt. of NCT of Delhi”

[F. No. 14011/23/2014-Delhi-II]

HITESH KUMAR S. MAKWANA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 2239(E) dated 5<sup>th</sup> September, 2014 and subsequently amended vide S.O. 2827(E) dated 5<sup>th</sup> November, 2014, S.O. No.609(E) dated 24<sup>th</sup> February, 2015, S.O. No.681(E) dated 5<sup>th</sup> March, 2015, S.O. No.1848(E) dated 8<sup>th</sup> July, 2015, S.O. No. 44(E) dated 7<sup>th</sup> January, 2016 and S.O.1152(E) dated 17<sup>th</sup> March, 2016.